न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-214RAABarmer2024-138RTA223 Durgaram ors Vs Genaram etc

01. दुर्गाराम पुत्र बागाराम
02. थानाराम पुत्र रायमलराम
जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा (राज०)।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. गेनाराम पुत्र मांगाराम
2. चैनाराम पुत्र मांगाराम
3. मानाराम पुत्र मांगाराम
4. पूराराम पुत्र मांगाराम
5. चुन्नीदेवी पत्नी मांगाराम
6. मांगाराम पुत्र तुलसाराम
7. विशनाराम पुत्र भीयाराम
8. गोमाराम पुत्र शेराराम
9. रूपाराम पुत्र बागाराम
10. केहराराम पुत्र बागाराम
11. नथूदेवी पत्नी बागाराम
12. बलंवता पुत्र लिखमाराम
13. पेमाराम पुत्र लिखमाराम
14. जसीदेवी पत्नी लिखमाराम
जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा (राज०)।
15. तहसीलदार एव उपपंजीयक सिणधरी जिला बालोतरा (राज०)।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर सिणधरी राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 अनवान गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच/वादीगण ने स्वयं को खातेदार तुलसाराम के वारिसान् होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91, 92क, 183, 188 एवं 209 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा सं. 166 रकबा 116.00 बीघा के संबंध में इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पत्ति की थी, जिसका पर्चा लगान वादी संख्या 1 से 4 के पितामह एवं प्रतिवादी संख्या के पिता तुलसाराम के नाम से जारी हुआ था। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से वादी संख्या एक से चार व प्रतिवादी संख्या एक प्रत्येक का वादग्रस्त आराजीत में 1/5–1/5 हिस्सा था। तुलसाराम के फौत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस भूमि में से 24.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पूर्व पुरुष शेराराम को जरिए रजिस्ट्री बेचान कर दिया। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 का शेष भूमि में कोई हक नहीं रहा, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अपनी प्रविष्टि दर्ज होने का लाभ उठाकर, शेष रकबा 92.00 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का वादीगण के नाम एवं शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बेचान कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त आराजीयात का आगे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेचान कर दिया। उक्त 92.00 बीघा भूमि पर वादी संख्या 1 से 4 का जन्मतः हक होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये बेचान एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया गया बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वाद दर्ज करने के 6–7 वर्ष पहले 8–10 बीघा भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया, जो शून्य एवं निष्प्रभावी बेचान पर आधारित होने से अतिक्रमण है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि रकबा 92.00 बीघा में से रकबा 05 बीघा भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पण किया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद में शेष बची रकबा 91.15 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की खातेदारी निरस्त करवाने, वादी संख्या 1 से 4 की आवगी खातेदारी में घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 92.00 बीघा भूमि के किये गये समग्र बेचान व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में किया गया बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने, उक्त भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करवाने तथा बाद कब्जा हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक व पांच से ग्यारह ने जवाबदावे प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या तीन व चार ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों का खण्डन किया गया तथा अपनी अपने हक हिस्से की भूमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष

चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम किये गये:–

01. आया वादग्रस्त आराजी ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 166 रकबा 116 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पिता व दादा को बेचान करने पर शेष रही भूमि 92.00 बीघा वर्तमान रेकर्ड अनुसार रकबा 91.15 बीघा पैतृक व पुश्तैनी होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है? **– जिम्मे वादीगण**
02. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में भूमि शेष नहीं होने के उपरान्त भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया बेचान प्रारम्भः से ही शून्य व प्रभावहीन है ? **– जिम्मे वादीगण**
03. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 को शून्य एवं प्रभावहीन बेचान करने पर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा शून्य बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया गया बेचान शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के वादीगण हकदार है? **– जिम्मे वादीगण**
04. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को शून्य बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में उनके नाम से किये गये इन्द्राज वादीगण निरस्त करवाने के हकदार हैं? **– जिम्मे वादीगण**
05. आया वादग्रस्त भूमि में शून्य एवं प्रभावहीन बेचान के आधार पर वादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि रकबा 10 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा किया गया अवैध कब्जा ध्वस्त कर मौके पर से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के वादीगण हकदार हैं ? **–जिम्मे वादीगण**
06. आया वादीगण अपने पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है? **– जिम्मे वादीगण**
07. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में सुसंगत कानून के तहत किसी आसामी के निर्वसीयती फौत होने पर उनकी सम्पत्ति उनके उतराधिकारियों में निहित हो जाती है। मूतक्फी तुलसाराम के फौत होने पर परिवार का मुख्यकर्ता व संरक्षक होने की हैसियत पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी में इन्द्राज हुई और परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण को अपना आधा–आधा हिस्सा बेचान किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना 1/2 हिस्सा आगे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जरिए रजिस्ट्री बेचान किया? **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
08. आया वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण को दिनांक 21.08.1985 को किया जो वादीगण की सहमति से किया गया था। इस कारण उक्त बेचान को वादीगण चुनौती नहीं दे सकते हैं ? **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
09. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का बेचान करने के बाद उसने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिनांक 24.07.1986 को बेचान किया। उक्त बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना यह वाद नहीं चल सकता है? **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
10. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का वक्त खरीद दिनांक 24.07.1986 से आदिनांक तक अपने 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है? **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**

11. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम धन्ने की ढाणी की खसरा संख्या 166 रकबा 92 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 21.08.1985 को व 1/2 हिस्से का वादीगण के पक्ष में बेचान किया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.07.1986 को बेचान 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का श्रृंखलाबद्ध कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में उसके हक को अस्वीकार करते हुए 36 वर्षों से लगातार आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खरीददार काश्तकार बन जाने की वजह से खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है? **– जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
12. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं होने से व कब्जे की इस्तदुआ परिसीमा से बाहर होने से यह वाद चलने योग्य नहीं है ? – **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
13. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वक्त खरीद रजिस्ट्री व कब्जा काश्त के अनुसार 1/2 हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने के हकदार है ? **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
14. अन्य सहायता।

वादीगण की ओर से वाद के समर्थन में चैनाराम पी.डब्ल्यु. 1, पूराराम पी.डब्ल्यु. 2., नवलाराम पी.डब्ल्यु.3 व खेराजराम पी.डब्ल्यु. 4 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबन्दी, वादग्रस्त भूमि की प्रथम जमाबन्दी संवत् 2013–16, ग्राम धन्ने की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 146, 179 व 231, खसरा संख्या 430/166 व 595/166 की जमाबन्दी संवत् 2072–75, मांगाराम द्वारा शेराराम को किया गया बेचान, मांगाराम द्वारा विशनाराम व वादीगण को किया गया बेचान एवं विशनाराम द्वारा दुर्गाराम व थानाराम को किये गये बेचान की प्रतियां प्रदर्श करवायी। प्रतिवादी संख्या 3 व 4/अपीलांट्स की ओर से मौखिक साक्ष्य में दुर्गाराम डी.डब्ल्यु. 1, थानाराम डी.डब्ल्यु 2. विशनाराम डी.डब्ल्यु. 3. हनुमानराम डी.डब्ल्यु. 4. वीरमाराम डी.डब्ल्यु. 5 व पूनमाराम डी. डब्ल्यु 6 को परीक्षित करवाये। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/उतरदाता संख्या एक से चार का स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानून एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है। पैतृक सम्पति में जन्म से हक प्राप्त करने के लिये वादीगण को अपनी जन्मतिथी को प्रमाणित कराने का मूल आधार होता है। उक्त जन्मतिथी के आधार के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फाईंडिग नहीं दी, न ही तनकीयात कायम की, न ही जन्मतिथी का विवेचन व विश्लेषण ही किया और न ही जन्मतिथी का वादपत्र मे उल्लेख कर अभिकथित ही किया है। प्रथम तो वादीगण के पूर्वज तुलसाराम की मृत्यु प्रमाणित करना, तत्पश्चात् वादीगण का जन्म। वादीगण के पूर्वज/दादा तुलछाराम के समय व उसके जीवनकाल में वादीगण का जन्म हुआ था या नहीं। यह प्रमाणित करना आवश्यक था जो प्रमाणित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब दादा तुलसाराम का स्वर्गवास

होने पर वादीगण का जन्म ही नहीं हुआ था तो वे अपने दादा के साथ सहदायगी सदस्य वादीगण नहीं रहे थे तो वे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 06 के स्पष्टीकरण संख्या 01 के तहत वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का विभाजन करवाकर हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। उक्त स्पष्टीकरण संख्या 01 में काल्पनिक बंटवाडे का प्रावधान मृतक तुलछाराम के जीवनकाल में रखा गया, न कि उसकी मृत्यु के पश्चात् काल्पनिक बंटवाडे का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों को एवं कानूनीय प्रावधानो को वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र में और उनके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने में असफल रहे है। उक्त असफलता के कारण वादीगण के पक्ष में तनकीयात संख्या 01 से 06 साबित नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तनकीयात को साबित होना मानने में भारी भूल की है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज तुलसाराम की स्वयं अर्जित (self acquired) भूमि थी एवं तुलसाराम की मृत्यु होने पर उसकी फौतेदगी का म्यूटेशन संख्या 146 दिनांक 05.11.1976 को स्वीकृत किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु सन् 1976 में होनी दर्शायी गयी है। उस समय प्रतिवादी संख्या 01 इकलौता ही पुत्र होने के नाते वारिस बना था। इकलौता पुत्र होने से उसे प्राप्त सम्पति उसकी स्वयं अर्जित सम्पति हुई, जिसे उसके स्वयं अर्जित सम्पति को उस समय बेचने का पूर्ण अधिकार हासिल था, क्योकि इकलौता पुत्र मांगाराम सहदायिकी का गठन नही करता है। इसके अतिरिक्त, वादीगण की जन्मतिथी न तो वाद पत्र के टाईटल में दर्शायी गयी है और न ही वाद पत्र के अन्दर किसी पैरा में दर्शायी गयी है, बल्कि पीडब्ल्यू 01/वादी संख्या 02 चैनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को अपने सशपथ लिपिबद्ध करवाये गये बयानों में 45 वर्ष की उम्र होना बताया है, जिससे वादी चैनाराम का जन्म सन् 1978 को होना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यू 02/वादी संख्या 04 पुराराम ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.01.2024 को सशपथ बयान लिपिबद्ध करवाते समय अपनी उम्र 43 वर्ष बतायी है, जिससे उसका जन्म सन् 1981 में होना प्रमाणित होता है। उपरोक्त दोनों वादीगण का जन्म सन् 1978 और सन् 1981 में होना प्रमाणित होता है। उस समय मृतक तुलसाराम जीवित नही थे, उनकी मृत्यु सन् 1976 में होना और सहदायिगीयों में सम्पति सन् 1978 और सन् 1981 में न्यायगत होने के बाद मृतक तुलसाराम के साथ संयुक्त सम्पति होना नही कहा जा सकता। इस प्रकार धारा 06 की स्पष्टीकरण संख्या 01 के तहत् मृतक तुलसाराम के जीवनकाल में कोई काल्पनिक बँटवाड़ा नहीं हुआ था। इस वजह से वादीगण इस वाद के जरिये विभाजन करने व अपना हक प्राप्त करने के अधिकारी नही रहे। प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम/उत्तरदाता ने दिनांक 19.08.1985 को प्रतिवादी संख्या 02 को वादग्रस्त खसरा नम्बर 166 रकबा 92 बीघा, खसरा नम्बर 165 रकबा 04 बिस्वा कुल रकबा 92 बीघा 04 बिस्वा में से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की 46 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादीगण को विक्रय की और साथ ही 1/2 हिस्से की 46 बीघा 02 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 02 विशनाराम को किया था। बेचानकर्ता मांगाराम के पैरो पर

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 खड़े है। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 विशनाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को आगे से आगे 46 बीघा 02 बिस्वा भूमि विक्रय कर देने की वजह से प्रतिवादी संख्या 02 के पैरों पर प्रतिवादी संख्या 03 व 04 खड़े है। उक्त बेचान के समय वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय किया था, तब वादीगण संख्या 01 से 04 की सहमति अपने माता के मार्फत् प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में व्यक्त की थी और उसकी माता ने उस समय कोई ऐतराज नहीं किया था और न ही उक्त बेचान को चुनौती दी थी, जिस वजह से वादी संख्या 01 से 04 का हित अपनी माता वादीनी संख्या 05 चुन्नीदेवी के मार्फत् वादग्रस्त भूमि का परित्याग (Waive) कर दिया था। सन् 2018 में जिस समय यह वाद प्रस्तुत किया गया है, उस समय जमीनों के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 05 से 11 की नियत में फर्क आने की वजह से उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने मिलावट कर अपीलाण्टगण से भूमि हड़प्प करने की नियत से विक्रय की गयी भूमि की दिनांक 19.08.1985 से करीबन 33 वर्षों के पश्चात् दुर्भिसंधि कर यह वाद दिनांक 19.04.2018 को प्रस्तुत किया है जो वाद परिसीमा से वर्जित था व है। ऐसे वाद को युक्तियुक्त समय मे अर्थात् 03 वर्षों की परिसीमा में प्रस्तुत करना था। उक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की है, जो निरस्त करने के काबिल है। धारा 12 हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के तहत् जहां की कोई नाबालिग सयुंक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में अविभक्त हित रखता हो और वह सम्पति परिवार के वयस्क सदस्य (कर्ता) के प्रबन्ध के अधीन हो, वहाँ ऐसे अविभक्त हित के बारे में नाबालिग के लिये कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा अर्थात् उक्त परिवार के कर्ता को संयुक्त परिवार की सम्पति का रखरखाव करने, उसे परिवार के हित में विक्रय करने का पूर्ण अधिकार हासिल होता है। ऐसे किये गये विक्रय को वादीगण एवं परिवार के अन्य सदस्यों को चुनौती देने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। ऐसे किये गये बेचान का विचारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण से मिलावट कर एक सिविल वाद विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1985 रजिस्टर्ड दिनांक 21.08.1985 को निरस्त करवाने हेतु सर्वप्रथम माननीय सिविल न्यायालय, बाड़मेर में दिनांक 24.04.2017 को प्रस्तुत किया है, जिस वाद में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त सिविल वाद के पश्चात् करीबन उक्त सिविल के तथ्यों को छिपाते हुए वाद के पश्चात 01 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्/सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के न्यायालय में दिनांक 19.04.2018 को यह पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत किया है। इस वजह से यह राजस्व वाद उक्त सिविल वाद के विचाराधीन होने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है। दोनो वादो मे समान पक्षकार है तथा वही इस्तदुआ चाही गई है जो धारा 10 सीपीसी के तहत स्टे किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिकी पारित करने में भारी

भूल की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र शून्य (Void) नही होकर शून्यकरणीय (Voidable) होता है। ऐसे बेचान को राजस्व न्यायालय में चुनौती नही दी जाकर सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाती है। उपरोक्त सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए वादीगण ने अपने पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1985, रजिस्टर्ड दिनांक 21.08.1985 को निरस्त करवाने हेतु उपरोक्त वर्णित सिविल वाद दिनांक 24.04.2017 को प्रस्तुत करवाया है। जब तक उपरोक्त सिविल वाद के मार्फत् तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1985 रजिस्टर्ड, दिनांक 21.08.1985 को निरस्त नहीं हो जाता, तब तक यह वाद चलने योग्य नहीं होने से निरस्त करने योग्य है। इसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने सन् 1989 RRD PAGE 429 HARLAL VS KHEMCHAND के प्रकरण में डबल बेंच ने AIR 1971 (SC) Page 776 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुसरण करते हुए राजस्व मण्डल की डबल बेंच ने निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु को ध्यान में रखे बिना आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित किया गया है तथा मौके पर अपीलाण्टगण के करीबन 33 वर्षों से चले आ रहे कब्जे को हटाने का आदेश दिया है, जो आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने के काबिल है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धान्त को अपने किसी भी निर्णय में ओवररूल (overrule) नहीं किया है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये है वे न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से, हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने से लागू नही होते है, जो न्यायिक दृष्टान्त अपीलाण्टगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कर्ता के हैसियत से बेचान के संबंध में प्रस्तुत किये गये है, उन्हे लागू नहीं होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को सही तरीके से समझने में भारी भूल की है। साथ ही धारा 06 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के स्पष्टीकरण संख्या 01 में वर्णित कानूनी प्रावधानों को सही तरीके से समझने में भी भारी भूल की है। सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत् यदि किसी व्यक्ति द्वारा त्रुटिपूर्ण टाईटल होते हुए उस व्यक्ति द्वारा वैध टाईटल बताते हुए किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है। तत्पश्चात् उस व्यक्ति में व उस व्यक्ति के वारिसान में वैध टाईटल निहित हो जाता है तो ऐसा विक्रय पत्र वैध विक्रय पत्र में शुमार हो जाता है, उसे शून्य, अवैध विक्रय पत्र नही कहा जा सकता है, क्योकि ऐसा विक्रय पत्र सदभावी खरीददार अपीलान्टगण के पक्ष मे निष्पादित प्रतिफल प्राप्त कर किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत् जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास, सआशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है तब न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि

व वारिसान को अपने ओर ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस वाद की सत्यता का प्रतयाख्यान (Deny) करने दिया जायेगा। उक्त साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के तहत वादीगण स्वंय व उनके पिता प्रतिवादी संख्या 01 (मांगाराम) दोनो विक्रय पत्र दिनांक 19/08/1985 मे किये गये कथनो से विबधिंत (Estopped) है। उन कथनो से मुकर नही सकते है। वादीगण ने अपने पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम के वारिस होने के नाते वादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकारी उत्पन्न होने के नाते यह वाद प्रस्तुत किया है। इस वजह से वादीगण अपने पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1985 रजिस्टर्ड दिनांक 21.08. 1985 जो प्रतिवादी संख्या 02 विशनाराम के पक्ष में निष्पादित किया है। उपरोक्त बेचान के पश्चात् ही प्रतिवादी संख्या 02 से प्रतिवादी संख्या 03 व 04/ अपीलाण्टगण ने ही वादग्रस्त भूमि दिनांक 22.07.1986 को खरीद की है। उपरोक्त बेचान दिनांक 19.08.1985 में प्रतिवादी संख्या 01, वादीगण और प्रतिवादी संख्या 02 पक्षकार होने से उपरोक्त बेचान में किये गये कथनों से विबन्ध (Estopped), पाबन्द व जिम्मेवार है। उपरोक्त बेचान में उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों की आपसी सहमति रही है। करीबन 33 वर्षों की असाधारण देरी से यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नही होने से खारिज करने योग्य है। ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार हल्का कमठाई वर्तमान तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 79 रकबा 74 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 166 रकबा 144 बीघा, खसरा नंबर 74 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 165 रकबा 00 बीघा 04 बिस्वा, कुल रकबा 283 बीघा 12 बिस्वा भूमि EX–4 के मार्फत् तुलसाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी की होना बताया गया है, जबकि वादीगण ने उपरोक्त खसरो मे से चार खसरो को छोड़ते हुए केवल खसरा नंबर 166 अकेले के सम्बध मे ही वाद प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि मे बेचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम के हिस्से मे 56 बीघा 14 बिस्वा आती है, उसे विक्रय करने का वैध अधिकार था व है। विक्रय की गई भूमि की प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 01 व वादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की आवश्यकता मे खर्च हुई है। वादग्रस्त भूमि व प्रतिफल की राशि दोनो ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 मिलकर सांठ–गांठ कर हड़प नही सकते है। वादीगण ने हस्तगत वाद में उपरोक्त तथ्यो को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखते हुए स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नही किया है। कानूनन बिना स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। कानूनन किसी व्यक्ति से कब्जा प्राप्त करने के लिये धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही करनी होती है, जिसकी परिसीमा 12 वर्ष रखी गई है, जबकि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19/04/2018 को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जा प्राप्ति का वाद प्रस्तुत किया है जो वाद

करीबन 33 वर्षों के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। ऐसा वाद धारा 63 (1) (iv) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत परिसीमा से वर्जित (barred by limitation) है, जिसके आधार पर वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर अपीलान्टगण में निहित हो गये है। उपरोक्त कब्जे के तथ्यों के संबंध में PW–1 चैनाराम ने अपनी जिरह दिनाँक 03.01.2024 मे स्वीकार किया है कि विवादित खेत के पश्चिम दिशा में मूलाराम का घर बना हुआ है जो मूलाराम, थानाराम का पुत्र है। थानाराम यहाँ पर नही रहता है। दुर्गाराम का पौता तेजाराम यहाँ रहता है। विवादित खेत मे ही तेजाराम की ढाणी है। उसका विवाद चल रहा है। मूलाराम का लड़का मूलाराम से अलग होकर के नया कब्जा कर रहा है। इसके अतिरिक्त PW–2 पूराराम ने अपनी जिरह दिनांक 03.01.2024 में स्वीकार किया है कि विवादित खेत मे दुर्गाराम की ढाणी नीचे है जो धराऊ दिशा मे ळें इस विवादित खेत मे थानाराम की ढाणी, दुर्गाराम की ढाणी के पास ळें उपरोक्त वर्णित तथ्यो से साबित है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर खरीद की तारीख 19/08/1985 से अपीलान्टगण का कब्जा 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार चला आ रहा है, जिसमे अपीलान्टगण की ढाणी व टांके बने हुए है, पानी व. बिजली का कनेक्शन ले रखा है, इन्दिरा आवास बने हुए है जिसके सम्बंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे EXhibit EXD-2 से EXD-4 तक दस्तावेज पेश किये गये है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 05 से 13 उतरदाता संख्या 01 से 05/वादीगण के पक्ष में साबित नही होते हुए भी साबित मानने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलाण्टगण का मुख्य रूप से इस वाद में बचाव यह रहा है कि प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम और वादीगण का संयुक्त हिन्दु परिवार के वक्त का बेचान था, जिस परिवार का मुखिया और कर्ता प्रतिवादी संख्या 01 था, जिसने परिवार की आवश्यकता एवं लाभ के लिये ग्राम धन्ने की ढाणी के खेत खसरा नंबर 166 रकबा 92 बीघा और खसरा नंबर 165 रकबा 04 बिस्वा कुल रकबा 92 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से की 46 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादीगण को दिनांक 19.08.1985 को विक्रय की एवं 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय की। उपरोक्त बेचान से वादीगण एवं परिवार के अन्य सदस्य पाबन्द एवं जिम्मेवार है, जिस बेचान को वादीगण चुनौती देने के अधिकारी नही है। यह उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यू 01 चैनाराम ने अपनी जिरह दिनांक 03.01.2023 में यह स्वीकार किया है कि हम चारों भाई तीन–चार साल पूर्व अलग हुए थे। उससे पहले हम सभी साथ में रहते थे तथा हमारे माता–पिता भी साथ रहते थे। हम छोटे थे, तब हमारे घर में कमाई करने वाले हमारे पिता ही थे अर्थात् उसके पिता प्रबंध करते थे। हमारे घर में चीज–पोत की जरूरत पड़ने पर हमारे पिताजी ही लाते थे। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 02 पुराराम, जो मांगाराम का पुत्र है, ने अपने जिरह दिनांक 03.01.2024 में यह स्वीकार किया है कि हम चार भाई है, सबसे बड़ा गेनाराम, उससे छोटा चैनाराम तीसरे नम्बर पर मांगाराम और मैं सबसे छोटा हूँ। मैं मेरे पिता के साथ रहता हूँ। मेरी माता जी भी मेरे साथ रहती है। हम छोटे थे तब हमारे घर में कमाई पिता जी ही करते थे।

चीज–पोत व पैसों की जरूरत होने पर हमारे पिताजी ही व्यवस्था करते थे। उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि संयुक्त हिन्दू परिवार का प्रबंध (Management) प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम, जो वादीगण का पिता व पति है, द्वारा किया जाता था। वही खानदान कर्ता थे। उनके द्वारा किया गया बेचान सही व वैध है, जिसको इस राजस्व न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार वादीगण को नहीं है। इस कारण से सिविल वाद इस राजस्व वाद से पूर्व प्रस्तुत किया गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 दोनो पक्ष दोनो हाथ मे लडडू नही रख सकते है, यानि दोहरा फायदा नही उठा सकते है। उपरोक्त साक्ष्य से अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एव दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलाण्टगण के पक्ष में तनकी संख्या 07 से 13 प्रमाणित होती है, जिसको प्रमाणित नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश व निर्णय व डिकी निरस्त करने के काबिल है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 अनवान गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में राजस्व रेकर्ड में किये गये अमल दरामद को हटाये जाने का आदेश फरमावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2016(2)आर.जे.टी. 1311, 2001(2)आर.आर.टी. (एच.सी.) 1113, ए.आई.आर. एस.सी. 776, 2019(2) सी.सी.सी. 491(राजस्थान), 2019(1)आर. जे.टी. 156, 2019(3) सी.सी.सी. 491(एस.सी.), 1989 आर.आर.डी. 429, 1993 आर.आर.डी. 505(डी.बी.), 2026(1)आर.आर.टी. 102 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में उतरदातागण के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। वादीगण का जन्म वादग्रस्त आराजीयात उनके पिता के नाम दर्ज थी, तत्समय ही हो गया था। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत करने की कोई म्याद निश्चित नहीं है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में वादीगण की अन्य पुश्तैनी भूमियों का अंकन किया गया है, किंतु उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में इस बाबत किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है। अपीलांट्स का यह कथन कि वादीगण के पिता द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया गया है, मिथ्या है, क्योंकि वादीगण के पिता द्वारा परिवार की आवश्यकताओं के लिए भूमि का बेचान किया जाता तो वादीगण के पक्ष में बेचान नहीं होता। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है वादीगण का वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय है। इस संबंध में निवेदन है वादीगण राजस्व

न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये बिना सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते है। इस कारण वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मूलवाद में अपीलांट्स को जवाब, साक्ष्य प्रस्तुति एवं जिरह का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में RRT 2024 (1) Page610, 2023 (2) RRT 850, 2023 (1) RRT 648, 2022(2) RRT 1029, 2018 (1) RRT 642, 2018 (1) RRT 534, 2016 (3) DNJ (Raj) 1199, 2014 (2) RRT 965, 2009 (2) PRT 1312 न्यायिक नजीरे पेश की।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों को प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 24.07.1986 के मुताबिक अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 166 रकबा 92 बीघा ग्राम धना की ढाणी तसमय तहसील गुड़ामालानी में से आधा हिस्सा रकबा 46 बीघा तत्कालीन खातेदार विसनाराम वल्द भींयाराम से प्रतिफल राशि 24000/– में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीद किया जाकर मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त जाना प्रकट होता है। खातेदार विसनाराम द्वारा उक्त आराजीयात दिनांक 21.08.1985 वादीगण(नाबालिग जरिये कुदरती वलीया श्रीमती चूनी जोजे मांगाराम) के साथ संयुक्त रूप से उनके पिता/प्रतिवादी संख्या एक मांगाराम से प्रतिफल राशि 41000/– मे खरीद किया जाना प्रकट होता है। वादग्रस्त आराजीयात खरीद के वक्त वादीगण गैनाराम, उदाराम, चैनाराम एवं मानाराम की उम्र क्रमशः 16, 14, 12 व 10 वर्ष बतायी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम खतौनी संवतः 2013 से 2016 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 166 रकबा 144 बीघा सहित अन्य भूमियॉ खसरा नंबर 79 रकबा 74.08 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 15.18 बीघा, खसरा नंबर 74 रकबा 49.03 बीघा, खसरा नंबर 165 रकबा 04 बिस्वा कुल रकबा 283.12 बीघा भूमि वादीगण के दादा तुलछाराम के नाम दर्ज रही है। प्रदर्श ईएक्सपी–06 के मुताबिक स्व. तुलछाराम की मृत्यु संवतः 2033 में हो जाने से उनकी फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 05.11.1976 को नामांतरकरण संख्या 146 के जरिये वादीगण के पिता मांगाराम के नाम दर्ज होना प्रकट होती है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। **वादीगण का जन्म उनके दादा तुलछाराम की फौतेदगी से पूर्व हुआ है अथवा बाद में हुआ है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य का विधिनुसार संपूर्ण निस्तारण नहीं किया गया है।**

अपीलांट्स का कथन है कि वादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेचान की गई है। इस संबंध में पी.डब्ल्यू.–1

चेनाराम द्वारा जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि **हम चारो भाई तीन–चार साल पूर्व अलग हुए थे, उससे पहले हम सभी साथ में रहते थे तथा हमारे माता–पिता भी हमारे साथ रहते थे। हम छोटे थे तब हमारे घर में कमाई वाले हमारे पिताजी ही थे। हमारे घर की चीज–पोत की जरूरत पड़ने पर हमारे पिताजी ही लाते थे।** उक्त स्वीकारोक्ति से साबित है कि वादीगण के पिता द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया गया है। कानूनन संयुक्त परिवार का कर्ता अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेचान कर सकता है। परिवार के अन्य सदस्य उक्त बेचान से पाबंद है। विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं वादी की ओर से स्वीकृत तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है।

कानूनन वादीगण द्वारा बालिग होने के पश्चात विधिनुसार वे 03 वर्ष की अवधि के भीतर अपने अधिकारों के विपरीत निष्पादित विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वादीगण द्वारा अपनी जिरह में दी गई स्वीकृति के मुताबिक अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनके रहवासीय मकानात बने हुए होना साबित है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के प्रावधानों के तहत भी अतिक्रमी को कब्जे से बेदखल करने हेतु म्याद 12 वर्ष निर्धारित है। वादीगण द्वारा बालिग होने के पश्चात अपीलांट्स /खरीददारान् के विरूद्ध लंबी अवधि तक किसी प्रकार कार्यवाही नहीं की गई है।** ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजीयात पर 12 वर्ष से अधिक लंबी अवधि तक कब्जा काश्त होने से वे एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार दर्ज हो चुके है तथा वादीगण का वाद परिसीमा से भी बाधित पाया जाता है।

अपीलांट का कथन है कि वादीगण के दादा के नाम वादग्रस्त आराजीयात के अलावा अन्य भूमिया भी दर्ज है। वादीगण द्वारा केवल अपीलांट्स द्वारा खरीद की गई भूमि के संबंध में ही वाद प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध **प्रथम खतौनी संवतः 2013 से 2016 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 166 रकबा 144 बीघा सहित अन्य भूमियॉ खसरा नंबर 79 रकबा 74.08 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 15.18 बीघा, खसरा नंबर 74 रकबा 49.03 बीघा, खसरा नंबर 165 रकबा 04 बिस्वा कुल रकबा 283.12 बीघा भूमि वादीगण के दादा तुलछाराम के नाम दर्ज रही है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के अलावा शेष भूमि के संबंध में अपने वाद में किसी प्रकार जिक्र नहीं किया गया है। उक्त शेष आराजीयात के <u>वादीगण/रेस्पो.</u> के पुश्तैनी हिस्से की पूर्ति संभव है।** वादीगण द्वारा संपूर्ण भूमि के संबंध में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत न कर केवल अपीलांट्स को बेचान की गई वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में ही वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के पिता द्वारा भी वाद में सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे साबित है कि **वादीगण एवं उनके पिता द्वारा आपसी दुरभिसंधि कर वाद**

प्रस्तुत किया गया है तथा वादी के पिता द्वारा स्वयं अपने द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान की गई भूमि के संबंध में अपने पुत्रों के जरिये पुनः खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहा गया है जो कतई विधिसम्मत नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र की प्रति के मुताबिक भी वादीगण के पिता मांगाराम द्वारा सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत कर अपीलांट्स से पूर्व के क्रेता विशनाराम के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 21.08.1985 को शून्य घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र एवं हस्तगत वाद के पक्षकार समान है तथा दोनो वादपत्रों में ही अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण एवं उनके पिता द्वारा आपसी सांठ–गांठ की गई है तथा वादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों से भी बाधित पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना, मामले में विरचित प्रत्येक तनकी पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में समग्र विवेचन किये बिना एवं समस्त कानूनी तथ्यों का विधिसम्मत विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने प्रकट होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 अनवान गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत विधिसम्मत विवेचन करते हुए एवं समस्त कानूनी बिंदुओं का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए मामले का पुनः विधिनुसार निस्तारण करे। साथ ही तहसीलदार सिणधरी को निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करे, ताकि राजस्व रेकर्ड में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न न हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर